



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 08.04.2026

- ◆ थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 75,000 रुपये के इनामिया (50,000/ रू० थाना नौगढ जनपद चन्दौली व 25,000/ रू० थाना रायपुर जनपद सोनभद्र) अन्तर्राज्यीय गौ-तस्कर को किया गया गिरफ्तार।
- ◆ अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा (315 बोर) व 02 जिन्दा कारतूस (315 बोर) 01 मिस कारतूस (315 बोर) के साथ किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थानाध्यक्ष इलिया चन्दन कुमार राय थाना इलिया के नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा दिनांक 08.04.2026 को चेकिंग के दौरान बनरसिया माइनर के पास से एक वांछित/इनामिया अन्तर्राज्यीय गौ-तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा (315 बोर) व 01 जिन्दा कारतूस (315 बोर), 01 मिस कारतूस (315 बोर) व 01 विवो कम्पनी का एन्ड्राइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स०-25/2026 धारा 3/25(1B)(A) आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त पर थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली से ₹50,000/- एवं थाना रायपुर जनपद सोनभद्र से ₹25,000/- का इनाम घोषित था। अभियुक्त के विरुद्ध जनपद चन्दौली एवं सोनभद्र के विभिन्न थानों में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित कुल 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह जनपद सोनभद्र क्षेत्र से गोवंश खरीदकर बिहार ले जाकर बिक्री करता है तथा तमंचा के बारे में बताया गया कि यह तमंचा मेरा है गोवंश तस्करी में जान माल का खतरा रहता है जिस कारण अपनी सुरक्षा के लिए मैं इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूँ। जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भगवान यादव पुत्र रामदुलार यादव, निवासी ग्राम निरंजनपुर, थाना चैनपुर, जनपद भभुआ (कैमूर), बिहार, उम्र लगभग 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 25/2026 धारा 3/25(1B)(A) आयुध अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

- 01 अवैध असलहा (.315 बोर)
- 02 जिन्दा कारतूस (.315 बोर)
- 01 मिस कारतूस (.315 बोर)
- 01 मोबाइल फोन (विवो) व ₹450/- नगद

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं- 91/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
- 2.मु0अ0सं- 75/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना नौगढ जनपद चन्दौली।
- 3.मु0अ0सं- 07/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना कर्मा जनपद सोनभद्र।
- 4.मु0अ0सं0- 45/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना कर्मा जनपद सोनभद्र।
- 5.मु0अ0सं0- 51/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व धारा 419/420/465 भादवि थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
- 6.मु0अ0सं0- 80/2023 धारा 174ए भादवि थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।
- 7.मु0अ0सं0-84/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 109(ए) बीएनएस व धारा 3/5ए आर्म्स एक्ट थाना रायपुर जनपद सोनभद्र
- 8.मु0अ0सं0-1220/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व धारा 109(ए) बीएनएस व धारा 3/5ए आर्म्स एक्ट थाना राबट्सगंज जनपद सोनभद्र
- 9.मु0अ0सं0- 01/2026 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना रायपुर जनपद सोनभद्र